राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमाकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (357) / 2019 / दिनांकः–

परिपत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता के देखने में आया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 161(V) के प्रावधानानुसार सबधीत कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उनके अधीन / जिले मे कार्यरत कार्मिको को वर्ष में एक बार सेवा पुस्तिका दिखा कर सेवा पुस्तिका में उनके हस्ताक्षर प्रासंगिक स्तम्भों मे प्राप्त नहीं किये जाते है जिससे सेवापुस्तिका में कार्मिको के नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि इत्यादि में सहवन से कोई त्रुटि हो जाती है, तो सेवापुस्तिका के निरीक्षण के अभाव में त्रुटि का समय पर निस्तारण नहीं हो पाता है एवं कार्मिको के सेवानिवृति समय अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की सेवापुस्तिका में जन्म दिनांक अंकित करने का आधार अंकित नहीं है, राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 'A' के अनुसार सेवापुस्तिका में जन्म दिनांक, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित करायेंगे तथा राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 161 (V) के प्रावधानानुसार वर्ष में एक बार सभी कर्मचारियों को उनकी सेवा पुस्तिका का निरीक्षण कराकर प्रासंगिक स्तम्भो में कार्मिक से हस्ताक्षर प्राप्त कर सेवाभिलेख पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।

sd

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक. ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (357) / 2019 / 542 दिनांकः– 19/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, संबद्ध चिकित्सालय वर्ग, राजस्थान।
2. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– ।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

Desktop\ANM\ Letter 2019